SHRI JANARDHAN POOJARI**;** One minute, Madam. Afterwards they can raise anything. In the case of CCP shares also, if special circumstances like default in payment of dividend, arise, then, voting rights, would become available. This is the meaning.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: You are right. That is the provision. That is what I am telling you. That rate is fixed. But it can cumulate if the dividend is not given.

STATUTORY RESOLUTION DISAPPROVING THE TERRORIST AND DISRUPTIVE ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT ORDINANCE, 1985 AND THE TERRORIST AND DISRUPTIVE ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 1985—contd.

श्री गुलाम रसूल कार : माननीय डिप्टी चेयरमैन साहिबा, जहां तक इस एक्ट का ताल्लुक है, यह आर्डिनेंस की सूरत में पहले ही काश्मीर पर लागू है और अब एक फारमेलिटी के तहत पार्लियमेन्ट के दोनों एवानों में पेश किया गया है। चाहिए यह था कि इस हाउस के आनरेबल मेम्बरान इस एक्ट के जम्मू काश्मीर में लागू करने के बारे में या उसकी मुखालफत मे कुछ कहते, लेकिन तमाम काश्मीर की सियासत को इसमें ले आए हैं। नेशनल कांफ्रेंस की अन्दुरूनी लड़ाई से, घर की लड़ाई से, वहां पर दो पार्टियां हो गई, स्पिलिट हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मदद से इनकी गवर्नमेंन्ट वजूद में आई। मैं शाल साहब से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की कभी यह ख्वाहिश नहीं रही है कि हम कभी भी दूसरों को अपने साथ चलने के लिए कहें या अपने साथ चलने के लिए आमादा करें। शेख साहब का जमाना याद में लाइये। जब वहां पर उनका एक भी मेम्बर नहीं था, सारी दुनिया की जमूरियत में यह पहली मिसाल है जब हमने शेख साहब को सरेरा उठाकर अपना लीडर माना, उनको हुकूमत सिपुर्द की। हमें इस वक्त वहां पर कौन हुकमत हैं या कौन हुकूमत आगे आने वाली होगी, इसमें नहीं जाना चाहिए। हमें इस वक्त को अपने जैरेनजर रखना चाहिए। जहां तक घर के मेम्बरान का ताल्लुक है, यहां पर बार-बार दफा 370 का तसकरा किया जाता है। कुछ लोगों का काश्मीर के बारे में हमेशा यह रवैया रहा है कि वहां पर जो तरक्की पसंद हुकूमत हो उसकी मुखालफत की जाय। अगर आप इस दफा 370 को देखें तो आपको पता चलेगा कि कांस्टिट्यूशन में जब इस दफा को रखा गया तो उस वक्त हमारे रहनुमा पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटैल और श्री रफी अहमद किदवई थे। उन्होंने काश्मीर की गुरबत और काश्मीर की इकनाजी पशमान्दगी, काश्मीर की टोपोग्रेफी और काश्मीर के पास जो कम जमीन है, उन सब को पेशे नजर रखकर इस दफा को रखा। आज भी जब कुछ लोगों को मौका मिलता है तो वे इस दफा को हटाने की बात करते हैं लेकिन जहां तक हमारी पार्टी कांग्रेस का ताल्लुक है जिन्होंने इस दफा को कांस्टिट्यूशन में रखा है उन्होंने जम्मू काश्मीर के लोगों को एक कमिटमेन्ट दिया है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक कमिटमेन्ट किया था और वह कमिटमेन्ट वहां की हालत को पेशे नजर रख कर किया गया था। जम्मू-काश्मीर का अपना कांस्टिट्यूशन बना, वहां की ऐसेम्बली ने उसको रेटिफाई किया। तमाम कन्ट्री के साथ रहने के लिए यह किया गया। कल भी जब आपने असम के बारे में अकार्ड यहां पेश किया, हर तरफ से उसकी सराहना की गई और होनी चाहिए। एक अच्छा कदम था। पंजाब के बारे में, असम के बारे में दफा 6 में है कि :

"Constitutional, legislative and administrative safeguards, as may be appropriate, shall be provided to protect, *preserve* and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people."

जब कल इस हाउस में होम मिनिस्टर ने असम के बारे में इस हद तक कि अगर हमें आईनी सूरतों में कुछ सेफ गार्डस वहां की जुबान, कल्चर, तहजीब और तमद्दुम देना पड़े, तो हम देने के

लिये तैयार हैं। काश्मीर के बारे में जब यहां बात आती है तो हमने यहां देखा है कि बार-बार ऐसी ताकतों की तरफ से, ऐसी जमातों की तरफ से इस बात को बार-बार यहां हाउस में और हाउस के बाहर उठाया जाता है कि दफा 370 को हटाना चाहिए। जहां तक काश्मीर के लोगों का ताल्लुक है, काश्मीर की कांग्रेस का ताल्लुक है, हमारी प्रोगेसिव तवारीख का ताल्लुक है हम जरूरियात के लिहाज से इस दफा को अपनी तरह से समझते हैं। हमारे लिये यह दफा रहनी चाहिए और काश्मीर के लोगों को यह हक है इस दफा को रखने का। अगर काश्मीर के लोग जम्मू और काश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग आमादा हों कि इस दफा की अब जरूरत नहीं तो हम कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेंगे। जब हम एट पार आ जायेंगे, पंजाब की तरक्की के साथ, आसाम की तरक्की के साथ, दिल्ली की तरक्की के साथ, महाराष्ट्र के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारी एक छोटी सी रियासत है जिसका दारोमदार सिर्फ एग्रीकल्चर पर है। लिहाजा मैं उन मेम्बरान से गुजारिश करूंगा कि वे इस दफा के सिलसिले में जब भी तकरार करते हैं तो इससे होता यह है कि हमारे दुश्मनों को मौका मिलता है और वे इस चीज को उभाड़ते हैं और इससे अनसर्टेन्टी पैदा हो जाती है, सियासी तौर पर हमें लगता है कि अक्सर काश्मीर में अक्सरियत है, एक खास तबके, आप यकीन मानिये, जब 1947 में पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला किया, जब 1947 में वहां दरिन्दे आ गये तो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि हमलावर खबरदार, हम काश्मीरी हैं। काश्मीरियों की एकता का ही हिस्सा है। आज भी काश्मीर में वही लोग हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि जिन काश्मीरियों ने जेहाद के नारे को ठुकराया, कुरान के नाम पर जेहाद के नारे को ठुकरा दिया उनके ऊपर शक और शुबहा अपने मन में पैदा करना, मैं समझता हूं कि उनके साथ ज्यादती होगी। मैं यकीन रखता हूं कि हमारे लोग जो हिन्दुस्तान के रहने वाले पेट्रियट हैं, देशभक्त हैं, मोहिब्बे वतन हैं हमारी मोहिब्ब वतना एक फर्जी जमात की नहीं है। हम उस हिन्दुस्तान के लोग हैं जिनकी रहनुमाई महात्मा गांधी ने की, जिनकी रहनुमाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और जिसकी विरासत इंदिरा गांधी ने कबूल की और जिसकी विरासत आज के नौजवान लीडर राजीव गांधी ने कबूल की है। लिहाजा इन जमानतों को जेहन में रखनी चाहिए जो कभी कभी सवाल उठाते हैं और खुद मुख्तारी देने के लिये जब काश्मीर का नाम आता है तो उनके दिल में घंटी बजती है। मैं आनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज से गुजारिश करूंगा कि इस ऐक्ट को जहां तक लागू करना है, यह वक्त का तकाजा है कि काश्मीर को पंजाब, असम, मिजोरम, नागालैंड या बाकी रैस्ट आफ दि कण्ट्री की तरह नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान अभी भी काश्मीर के बारे में इन्टरनेशनल फोरम में बात उठा रहा है। हाल ही में सो काल्ड काश्मीर के प्रेसीडेन्ट ने कहा कि हम शिमला मुआहिदा पर चलने के पाबंद नहीं हैं और उन्होंने अपने तौर पर डेलीगेशन भेज दिया मकबूजा काश्मीर के साथ कि काश्मीर में भी राय शुमारी होनी चाहिए। आज भी दरअंदाजी हो रही है, आज भी सरहद पर गोलियां चलाई जाती है। आज भी सेशेसनिस्ट्स एलीमेंट्स काश्मीर में है। आज वो इस तहरीक के मौजिद हैं कि काश्मीर को पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिये। जमायते इस्लामी ने वहां पर जाल बिछाया हुआ है। अपनी जमात के मुख्तलिफ़ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कौंसिल, काश्मीर लिब्रेशन फ्रंट, हाजमी इस्लाम और इस्लाम स्टुडेंट्स आर्गेनाइजेशन। यह आर्गेनाइजेशन पायेकार है। इनको बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है। वहां इनको बन्दूक चलाने की, बम चलाने की, हैंड-ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग मिलती है। 2 जुलाई, से आज तक 15 बार बम गिराये गये हैं। यह खुदा का शुक्र है कि कोई जख्मी नहीं हुआ यह आपके वक्त में भी हुआ, कांग्रेस के दौर में भी हुआ, आज भी हो रहा है, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है **(व्यवधान)** शाह सरकार रोकती नहीं है, यह ठीक बात है। जब एक इंटरनेशनल साजिश हो, जब सरहदों पर दुश्मन हो

[श्री गुलाम रसूल कार]

बहुत बड़ी ताकत हो, दरअंदाजी हो, पैसा मिलता हो, जब हम उनका मुकाबला करते थे माफ कीजिए, तब आप हमारे साथ नहीं थे। (**व्यवधान**) 27 वाकयात हो गये पिछले एक साल में आतिशजदगी के और बीसियों ऐसे लोग हैं जो सरेआम खुले तौर पर यह कहते हैं कि हमारी इहलाक हिन्दुस्तान के साथ नहीं है। शाल साहब से मैं पूछना चाहता हूं बहैसियते मोहबे वतन के इनका फर्ज था, यह जमायते इस्लाम का नाम लेकर खुलेआम कहते हैं कि हमारा एक्सटेंशन पूरा नहीं हुआ, आपने क्यों इस बात को छिपाया ? उनके स्कूल चल रहे हैं, ग्रास रूट्स पर गांवों में प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कल, हाई स्कूल, इस जमायते इस्लाम का ताल्लुक हिन्दुस्तान की जमायते इस्लाम के साथ नहीं है, यह हिन्दुस्तान की जमायते इस्लाम का हिस्सा नहीं है, यह एक अलाहिदा फोरम है और खुले तौर से पाकिस्तान के साथ होने का नारा देते हैं। कल ही 14 अगस्त, पाकिस्तान का यौमेआजादी दिन है, पाकिस्तान हमारा हमसाया है, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ सुलह होनी चाहिये, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिये लेकिन दिल्ली में रह कर मैं समझता हूं जैसे दिल्ली वैसे श्रीनगर में रह कर अगर कोई पाकिस्तान डे पर नारा देता है, इन चीजों को छिपाना मैं समझता हूं कि यह कोई पेट्रोटिज्म के लिए कोई खिदमत नहीं है। आप को खुले तौर पर कहना चाहिये कि इस किस्म के अन्सर वहां मौजूद हैं।

श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल : मोहतरिम मैंने अर्ज किया कि काश्मीर में हालात बदतर हैं इस वजह से वहां की सरकार को चलता किया जाए (**व्यवधान**)

श्री गुलाम रसूल कार : जनाबेवाला, यह इन्होंने फरमाया कि सरकार को चलता करना चाहिये। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब तक किसी सरकार को असेम्बली में अदमे-एहतमात हासिल है कोई भी सरकार किसी सरकार को वहां से हटा नहीं सकती है। अगर आप में ताकत हैहिम्मत है (**व्यवधान**)

श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल : दो जुलाई को असेम्बली में अदमे-एहतमात नहीं था।

श्री गुलाम रसूल कार : आइये असेम्बली में अगर आपके पास अक्सरियत है। डमोक्रेसी में आप हंगामा करना चाहते हैं, असेम्बली की कार्यवाही को रोकते हैं, यह कोई डेमोक्रेसी है। क्या यह जम्हूरीतरजे निजाम है, क्या आप यह अपनी नस्लों के लिये आइंदा के लिए मिसाल बना रहे है कि असेम्बली को चलने नहीं देना चाहिये ? (**व्यवधान**)

हम क्यों सपोट विदड्रा कर लें। आप चार्जशीट लाइये। आप करप्शन की बात करते हैं। आप क्यों नहीं चार्जशीट लाते है। आप प्रेजीडेंट को मेमोरेंडम क्यों नहीं देते हैं ? आप पार्लियामेंट को मेमोरेंडम क्यों नहीं देते है, आप क्यों नहीं लोगों में जाकर के तहरीक बना लेते हैं (**व्यवधान**)

श्री सैयद अहमद हाशमी (उत्तर प्रदेश): दो क्राइटेरिया नहीं हो सकते। एक डाक्टर फारुख अब्दुल्ला क्राइटेरिया और एक शाह क्राइटेरिया (**व्यवधान**)

श्री गुलाम रसूल कार : साहब इनके घर में फसाद हो गया, शाह साहब नेशनल कान्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी थे, जालिदा शेख साहब की बेटी थी, उन्होंने एक अलाहिदा जमात बनाई। असली नेशनल कान्फ्रेंस वो है। हमारा क्या कसूर है। आप घर की लड़ाई खत्म कीजिए आपस में गले मिलिये, हमें कोई एतराज नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल : डिप्टी चेयरमैन, मेरी एक अर्ज है जो इन्होंने कांग्रेस कनवेंशन में तकरीर की वो यहां पर फरमाएं (**व्यवधान**)

Withdraw your support. It will tumble down.

3 P. M.

श्री गुलाम रसूल कार : मोहतरिम मैं अर्ज कर रहा था, 14 अगस्त, की शाम को शाल साहब पूरी तरह इल्मी हैं अखबार पढ़ते हैं, 14 अगस्त, की शाय को वहां फतेहकदल में एक टेपम्ल में बम

गिराया गया। टैम्पल की दीवार गिर गई और नुकसान पहुंचा ? ये बम कहां से आते हैं। ये सरहद पार से आते हैं . . . (**व्यवधान**) पहले आप करते थे, अब जमायते इस्लामी वाले करते हैं। आप राहे रास्त पर गए, वह भी राहे रास्त पर आ जायेंगे। पहले आप उनकी स्पोर्ट करते थे। आज आप राहे रास्त पर गए हम उनको भी राहे रास्त पर लाने की कोशिश करेंगे।

श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल : 13 महीनों में बताइये कितनों को गिरफ्तार किया किसी को पकड़ा भी ? आज गुरुद्वारा बारामुल्ला में टरोरिस्ट्स बैठे हैं। 6 महीने से कहा जाता है वहां पर और गंगवाल में ट्रेन में बम फटा है और फिर तीन बार कातिलाना हमला हुआ यह फारुक अब्दुल्ला पर, यह है गुलशाह सरकार। आप स्पोर्ट विदड्रा कर लीजिए ?

श्री गुलाम रसूल कार : मोहतरिमा, आपको याद होगा . . . (**व्यवधान**) जब हम गुरबत पालिसी की बात करते थे तब शाल साहब कहते थे कि ऐसा नहीं हो रहा है। . . . (**व्यवधान**) आज शाल साईब खुद कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है ठीक बात है, आज आप हमारी ताईद कर लेंगे, कल आपको पब्लिक में हमारी ताईद करनी पड़ेगी। आपको हमारा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और हालात का तकाजा है, कौमी इत्तहाद का तकाजा है, मुल्के मोहब्बे वतन होने का तकाजा है आपको हमारे रास्ते पर चलना पड़ेगा, हमारा रास्ता कबूल करना पड़ेगा।

उपसभापति : शाल साहब आप उनको बोलने दीजिए।

SHRI GULAM MOHI-UD-DIN SHAWL: Whenever my name is rcfer-red to, I have to reply, our only con-tentation is: withdraw your support and the Government will tumble down. It is a non-representative and puppet Government.

श्री गुलाम रसूल कार : मोहतरिमा, मैं अर्ज कर रहा था, शाल साहब ने हमारी हर वक्त ताईद की और मैं यह महसूस करता हूं कि जो बातें इन्होंने अपनी तकरीर में उठाई वह गैर जरूरी थीं। (**व्यवधान**)

उप सभापति : हाशमी साहब अपका नाम नहीं लिया है इसलिए आप कृपया बैठ जाइये।

श्री गुलाम रसूल कार : इस एक्ट का जहां तक ताल्लुक है बाय प्रेजीडेंशियल प्रोक्लेमेशन वहां आलरेडी आर्डिनेंस फाईल हो चुका है, महज इस एक्ट की महदूदियत यह है कि इस एक्ट को लागू कर रहे हैं काश्मीर के अन्दर और काश्मीर के हालात, पंजाब के हालात भी, आसाम और मिजोरम के हालात भी एक बहुआयामी सतह पर एक दूसरा मुल्क अब भी कोशिश कर रहा है। अब भी कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। काश्मीर के बारे में रायशुमारी के बारे में शिमला और ताशकन्द एग्रीमेंट के बारे में, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बस बहसियते मोहब्बे वतन से आपको हमारा साथ देना चाहिए और ऐसे अनासिर का हमें सियासी सतह पर भी मुकाबला करना पड़े जमायते इस्लामी का और ऐसे अनासिर का जिन मनफी सियासत हो यह ही सही रास्ता है, यह सही रास्ता अख्तयार करना चाहिए, मैं इस एक्ट की पुरजोर ताईद करता हूं। साथ ही यह कहना चाहता हूं। मर्कजी सरकार से कि पंजाबमें आपने एकोर्ड किया है, यह बहुत खुशी की बात है, वैलकम, लेकिन साथ ही आपने कहा कि वहां पर कोच फैक्ट्री होगी और दस हजार लोगों को काम मिलेगा। आसाम में आपने एकोर्ड किया, वहां दो फैक्ट्रियां कायम कीं। हम फैक्ट्रियां नहीं चाहते हैं। साथ में एक कन्फ्यूजन है हमारे जेहन में, 40 साल यही हमने आपके साथ फस्ट्रेशन किया 40 साल तक आप रेल को काश्मीर नहीं लाये, श्रीनगर तक आखिर लोगों में एक किस्म का कन्फ्यूजन पैदा होता है। डेढ़ अरब रुपया आपने कोच फैक्ट्री में लगाया पजाब में मैं नहीं कहता डेढ़ नहीं तीन अरब रुपया आपको खर्च करना चाहिए मैं कहता हूं दस हजार लोगों को नहीं बीस हजार लोगों को काम दे दीजिए, लेकिन क्या काश्मीरियों का यह हक नहीं कि आप हमें रेल दे दें ?

[श्री गुलाम रसूल कार]

रेल आने से कौमी इकजहती में बढ़ावा होगा । तहजीब एक दूसरे की मिलती-जुलती है, कल्चर मिलता-जुलता है । कन्फ्यूजन यही दूर हो जाता है । आपने वहां पंजाब में पांच हजार लोगों को काम देने के लिए बी०आर०पी० में या बी०एस०एफ में भर्ती का एलान किया। यह बहुत खुशी की बात है, खुशामदीद करते है, वेलकम करतेहै लेकिन काश्मीर रियासत में अगर आप सिर्फ डेढ़ हजार दो हजार लोगों को मेन सिटी में लाकर उनको मुलाजमत देकर, जहां दूसरी रियासतों में लगाकर वहां के खसूसी तौर पर बढ़ांगे दहल यह बात कहना चाहता हु कि वहां बेकारी है, तालीम याफता मुसलमान बेकार हैं, मुसलमानों में ग्रेजुएट हैं, एम० ए० हैं, एम०एस०सी० हैं । अब आप जराए महदूद देखते हैं . . . . ।

तो लाजमी तौर पर जब उनके इक्तसादी मसायल हल नहीं होते हैं, तो लाजमी तौर पर एक फस्ट्रेशन आ जाती है । जब फस्ट्रेशन आ जाती है, तो वह ऐसे काम कर पाते हैं कि वह बुरी राह पर पड़ते हैं, वह गलत सियासत में पड़ते हैं, वह गलत हाथों में पड़ते हैं।

आप कश्मीर को पंजाब के साथ मिलाइये आप काश्मीर को असम के साथ मिलाइय । जसे आपने असम का मसला हल कर दिया, आप असम में दो फैक्टरियां कायम कर रहे है, आप पंजाब में कोच फक्टरी कायम कर रहे हैं, आप हजारों लोगों को वहां मुलाजमत में भरती कर रहे हैं।

आरिफ साहब, यह वही कश्मीरी हैं जिन्होंने 1947 में कहा था—हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी होते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : यकीनन।

श्री गुलाम रसूल कार : आज क्यों वहां आवाजें उठ रही है? आज इस वजह से वहां आवाजें उठ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, तालीम याफ्ता बेकारी बढ़ रही है। जो हमारे मरकजी दफातिर है, वहां आप देख लीजिए कि उनमें कौन भरती है, कौन से फिरके के लोग हैं। एक परसेंट भी वहां सीट वाला मुलाजमत में नहीं है, सरकारी ईफातिर में मुलाजमत में नहीं है, नेशनलाईज्ड बैंक्स में और जब यह सूरतेहाल हो, तब नौजवानों में फस्ट्रेशन पैदा हो जाती है ।

मेरे पैट्रियाटिज्म को कोई चेलेंज नहीं कर सकता ।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : यकीनन।

श्री गुलाम रसूल कार : मैंने दो बार पाकिस्तानियों का मुकाबला करके गोली खाई है लेकिन मैं अलल एलान कहना चाहता हूं, जब तक आप कश्मीर में श्रीनगर तक रेल नहीं लाते, जब तक आप काश्मीर को यहां के मेन-स्ट्रीम में, मुलाजमत में इनवाल्व नहीं करते, फौज में इनवाल्व नहीं करते, सी०आर०पी० में भरती नहीं करते, रेल के महकमें में भरती नहीं करते उनको उनका पूरा हक नहीं देते, तो एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है ।

मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आपकी वसातत से, अपने महबूब प्राइम मिनिस्टर से, नौजवान प्राइम मिनिस्टर से कि वह कश्मीर की तरफ तवज्जह दें, वहां कारखाना खुलना चाहिए, जो कुछ आपने आज तक किया है, हम मरहूने मिन्नत हैं मरकजी सरकार के कि आपने काफी पैसे हमें दिय, हमने बिजली पैदा की, हमने गांव-गांव सड़कें पहुंचाई हमने पुल बनाय, कालेज खोले, दो यूनिवर्सिटीज और दो मेडिकल कालेज खोले, लेकिन बकारी है, यहां तालीम-याफता बेकारी है। उसको कम करने की तरफ तवज्जह दीजिए और यकीन जानिये कि काश्मीर आपका है, काश्मीर आपका रहेगा, हमेशा रहेगा । इसके साथ ही मैं इस एक्ट की ताईद करता हूं ।

†[شری غلام رسول کار (نامزد):

محترمہ ڈپٹی چیئرمین صاحبہ - جہاں تک اس ایکٹ کا تعلق ہے یہ آرڈیننس کی صورت میں پہلے ہی کشمیر پر لاگو ہے اور اب ایک فارملٹی کے تحت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کیا گیا ہے - چاہئیے یہ تھا کہ اس ہاؤس کے آنریبل ممبران اس ایکٹ کے جموں کشمیر پر لاگو کرنے کے بارے میں یا اسکی مخالفت میں کچھ کہتے - لیکن تمام کشمیر کی سیاست کو اسمیں لے آئے ہیں - نیشنل کانفرنس کی اندرونی لڑائی ہے - گھر کی لڑائی ہے وہاں پر دو پارٹیاں ہوگئیں اسپلٹ ہوگیا - اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری مدد سے ان کی گورنمنٹ وجود میں آئی - میں شال صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کی کبھی یہ خواہش نہیں رہی ہے کہ ہم کبھی بھی دوسروں کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہیں یا اپنے ساتھ چلنے کے لئے آمادہ کریں - شیخ صاحب کا زمانہ یاد میں لائیے جب وہاں پر ان کا ایک بھی ممبر نہیں تھا - ساری دنیا کی جمہوریت میں یہ پہلی مثال ہے جب ہم نے شیخ صاحب کو سر اٹھا کر اپنا لیڈر مانا - ان کو حکومت سپرد کی - ہمیں اسوقت وہاں پر کون حکومت ہے یا کون حکومت آگے آنے والی ہوگی اسمیں نہیں جانا چاہئیے - ہمیں اسوقت کو اپنے زیر نظر رکھنا چاہئیے - جہاں تک ادھر کے ممبران کا تعلق ہے یہاں پر بار بار دفعہ ۳۷۰ کا تذکرہ کیا جاتا ہے - کچھ لوگوں کا کشمیر کے بارے میں ہمیشہ یہ رویہ رہا ہے کہ وہاں پر جو ترقی پسند حکومت ہو اس کی مخالفت کی جائے - اگر آپ اس دفعہ ۳۷۰ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کانسٹی ٹیوشن میں جب اس دفعہ کو رکھا گیا تو اسوقت ہمارے رہنما پنڈت جواہر لال نہرو - مولانا ابوالکلام آزاد - سردار پٹیل اور شری رفیع احمد قدوائی تھے انہوں نے کشمیر کی غربت اور کشمیر کی اقتصادی پسماندگی کشمیر کی ٹوپو گرافی اور کشمیر کے پاس جو کم زمین ہے ان سب کو پیش نظر رکھ کر اس دفعہ کو رکھا - آج بھی جب کچھ لوگوں کو موقعہ ملتا ہے تو وہ اس دفعہ کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں - لیکن جہاں تک ہماری پارٹی کانگریس کا تعلق ہے جنہوں نے اس دفعہ کو کانسٹی ٹیوشن میں رکھا ہے انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک کمٹمینٹ دیا ہے - پنڈت جواہر لعل نہرو نے ایک کمٹمینٹ دیا تھا اور وہ کمٹمینٹ وہاں کی حالت کو پیش نظر رکھکر دیا گیا تھا - جموں کشمیر کا اپنا کانسٹی ٹیوشن بنا وہاں کی اسمبلی نے اسکو وثیقائی

†[] Transliteration in Arabic script.

[شری غلام رسول کار]

کیا - تمام کلچری کے ساتھ رھنے کے لئے یہ کیا گیا -

کل بھی جب آپ نے آسام کے بارے میں اکارڈ یہاں پیش کیا - ھر طرف سے اسکی سراھنا کی گئی اور ھونی چاھئے - ایک اچھا قدم تھا - پنجاب کے بارے میں آسام کے بارے میں دفعہ ۶ میں ھے کی . . .

"Constitutional. legislative and administrative safeguards, as may be approprate, shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people."

جب کل ھاؤس میں ھوم منسٹر نے آسام کے بارے میں اس حد تک کہ اگر ھم آئینی صورتوں میں کچھ سیف گارڈس وھاں کی زبان کلچر - تہذیب اور تمدن دینا پڑے تو ھم دینے کے لئے تیار ھیں - کشمیر کے بارے میں جب یہاں بات آتی ھے تو ھم نے یہاں دیکھا ھے کہ بار بار ایسی طاقتوں کی طرف سے ایسی جماعتوں کی طرف سے اس بات کو بار بار یہاں ھاؤس میں اور ھاؤس کے باھر اٹھایا جاتا ھے کہ دفعہ ۳۷۰ کو ھٹانا چاھئے - جہاں تک کشمیر کے لوگوں کا تعلق ھے - کشمیر کی کانگریس کا تعلق ھے - ھمارے پروگریسیو تواریخ کا تعلق ھے - ھم ضروریات کے لحاظ سے اس دفعہ کو اپنی طرح سے سمجھتے ھیں - ھمارے لئے یہ دفعہ رھنی چاھئے اور کشمیر کے لوگوں کو یہ حق ھے کہ اس دفعہ کو رکھنے کا - اگر کشمیر کے لوگ جموں اور کشمیر کے لوگ لداخ کے لوگ آمادہ ھوں کہ اس دفعہ کی اب ضرورت نہیں تو ھم کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرینگے - جب ھم ایسٹ پار آجائینگے پنجاب کی ترقی کے ساتھ - آسام کی ترقی کے ساتھ - دلی کی ترقی کے ساتھ - مہاراشٹر کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن میں - ھماری ایک چھوٹی سی ریاست ھے جسکا دارومدار صرف ایگریکلچر پر ھے - لہذا میں ان ممبران سے گزارش کرونگا کہ وہ اس دفعہ کے سلسلے میں جب بھی تذکرہ کرتے ھیں تو اس سے ھوتا یہ ھے کہ ھمارے دشمنوں کو موقع ملتا ھے اور وہ اس چیز کو ابھارتے ھیں اور اس سے ان سنسیٹیویٹی پیدا ھو جاتی ھے سیاسی طور پر ھمیں یہ لگتا ھے کہ اکثر کشمیر میں اکثریت ھے - ایک خاص طبقہ کی - آپ یقین مانئیے جب ۱۹۴۷ میں پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا - جب ۱۹۴۷ میں وھاں درندے آئے تو کون لوگ تھے جنھوں نے کہا کہ حملہ آور خبردار ھم کشمیری ھیں - یہ کشمیریوں کی ایکتا کا ھی حصہ ھے - آج بھی کشمیر میں وھی لوگ ھیں - ھمیں یہ سوچنا چاھئے جن کشمیریوں نے جہاد کے نعرہ کو ٹھکرادیا - قرآن کے نام پر جہاد کے نعرہ کو ٹھکرا دیا ان کے اوپر شک و شبہہ اچھے

من میں پیدا کرنا ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی ۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہندوستان کے رہنے والے وہ پیٹریوٹ ہیں ۔ محب وطن ہیں ۔ ہماری محب وطنی ایک فرقی جماعت کی نہیں ہے ۔ ہم اس ہندوستان کے لوگ ہیں جن کی رہنمائی مہاتما گاندھی نے کی ۔ جس کی رہنمائی پنڈت جواہر لعل نہرو نے کی اور جس کی وراثت اندرا گاندھی نے قبول کی اور جن کی وراثت آج کے نوجوان لیڈر راجیو گاندھی نے قبول کی ہے ۔ لہذا ان جماعتوں کو ذہن میں رکھنا چاہئے جو کبھی کبھی سوال اٹھاتے ہیں اور خود مختاری دینے کے لئے جب کشمیر کا نام آتا ہے تو ان کے دل میں کھٹکی بجتی ہے ۔ میں آنریبل منسٹر انچارج سے گزارش کرونگا کہ اس ایکٹ کو جہاں تک لاگو کرنا ہے یہ وقت کا تقاضہ ہے کہ کشمیر کو پنجاب آسام ۔ میزورم ۔ ناگالینڈ یا باقی ریسٹ آف دی کنٹری کی طرح نہیں دیکھنا چاہئے ۔ پاکستان ابھی بھی کشمیر کے بارے میں انٹرنیشنل فورم میں بات اٹھا رہا ہے ۔ حال ہی میں سو کالڈ کشمیر کے ایک پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم شملہ معاہدہ پر چلنے کے پابند نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے طور پر ڈیلیگیشن بھیج دیا ۔ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کہ کشمیر میں بھی رائے شماری ہونی چاہئے ۔

آج بھی در اندازی ہو رہی ہے ۔ آج بھی انفیلٹریشن کشمیر میں ہیں آج وہ اس تحریک کے موجد ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہئے ۔ جماعت اسلامی نے وہاں پر جال بچھایا ہوا ہے ۔ اپنی جماعت کے مختلف اسلامک ریولیوشنری کونسل کشمیر لبریشن فرنٹ ۔ محاز اسلام ۔ اور اسلام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بروئے کار ہیں ۔ ان کو باقاعدہ ٹریننگ ملتی ہے وہاں ان کو بندوق چلانے کی بم چلانے کی ہینڈ گرنیٹ چلانے کی ٹریننگ ملتی ہے ۔ ۲ جولائی سے آج تک پندرہ بار بم گرائے گئے ہیں یہ خدا کا شکر ہے کوئی زخمی نہیں ہوا ۔ یہ آپ کے وقت میں بھی ہوا کانگریس کے دور میں بھی ہوا ۔ آج بھی ہو رہا ہے ۔ اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے . . . . . (مداخلت) . . . . . شاہ سرکار روکتی نہیں ہے ۔ یہ ٹھیک بات ہے جب ایک انٹرنیشنل سازش ہو ۔ جب سرحدوں پر دشمن ہو بہت بڑی طاقت ہو ۔ در اندازی ہو ۔ پیسہ ملتا ہو ۔ جب ہم ان کا مقابلہ کرتے تھے معاف کیجئے تب آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے . . . (مداخلت) . . . ۲۷ واقعات ہو گئے پچھلے ایک سال میں آتشزدگی کے اور بیسیوں ایسے لوگ ہیں جو سر عام کھلے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا الحاق ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے ۔ شال صاحب سے

میں حالات بدتر ہیں اسوجہ سے وہاں کی سرکار کو چلتا کیا جائے - . . . (مداخلت) . . . .

شری غلام رسول کار : جناب والا یہ انہوں نے فرمایا کہ سرکار کو چلتا کرنا چاہئے - میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جبتک کسی سرکار کو اسمبلی میں عدم اعتماد نہیں حاصل ہے کوئی بھی سرکار کسی سرکار کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتی ہے - اگر آپ میں طاقت ہے ہمت ہے . . . .

شری غلام محی الدین شال : دو جولائی کو اسمبلی میں عدم اعتماد نہیں تھا -

شری غلام رسول کار : آپئے اسمبلی میں اگر آپ کے پاس اکثریت ہے - ڈیموکریسی میں آپ ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں - اسمبلی کی کارروائی کو روکتے ہیں - یہ کوئی ڈیموکریسی ہے - کیا یہ جمہوریتی نظام ہے - کیا آپ یہ اپنی نسلوں کے لئے آئندہ کے لئے مثال بنا رہے ہیں کہ اسمبلی کو چلنے نہیں دینا چاہئے . . . (مداخلت) . . . . ہم کیوں سپورٹ وغیرہ کر لیں - آپ چارج شیٹ لائیے - آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں - آپ کیوں نہیں چارج شیٹ لاتے ہیں - آپ پریزیڈنٹ کو میمورنڈم کیوں نہیں دیتے ہیں - آپ پارلیمنٹ کو میمورنڈم کیوں نہیں

[شری غلام رسول کار]

میں پوچھنا چاہتا ہوں بحیثیت محب وطن کے ان کا فرض تھا - یہ جماعت اسلامی کا نام لے کر کھلے عام کہتے ہیں کہ ہمارا ایکسٹینشن پورا نہیں ہوا - آپ نے کیوں اس بات کو چھپایا - ان کے اسکول چل رہے ہیں - گراس روٹس پر گاؤں میں پرائمری اسکول - مڈل اسکول - ہائی اسکول - اس جماعت اسلامی کا تعلق ہندوستان کی جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہے - یہ ہندوستان کی جماعت اسلامی کا حصہ نہیں ہے - یہ ایک علیحدہ فورم ہے اور کھلے طور پر پاکستان کے ساتھ ہونے کا نعرہ دیتے ہیں - کل ہی ۱۴ اگست جشن پاکستان کا یوم آزادی کا دن ہے - پاکستان ہمارا ہمسایہ ہے - ہم چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہماری صلح ہونی چاہئے - ہم چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہئے - لیکن یہاں دلی میں رہ کر میں سمجھتا ہوں جیسے دلی ویسے سری نگر میں رہ کر اگر کوئی پاکستان کے پر نعرہ دیتا ہے - ان چیزوں کو چھپانا میں سمجھتا ہوں پیٹریوٹزم کے لئے کوئی خدمت نہیں ہے - آپ کو کھلے طور پر کہنا چاہئے کہ اس قسم کے عناصر وہاں موجود ہیں -

شری غلام محی الدین شال : محترمہ - میں نے عرض کیا کہ کشمیر

دیتے ہیں - آپ کیوں نہیں لوگوں میں جا کر کے تحریک بنا لیتے ہیں....(مداخلت)....

شری محمد احمد ہاشمی : دو کرائٹیریا نہیں ہو سکتے - ایک ڈاکٹر فاروق عبداللہ کرائٹیریا اور ایک شاہ کرائٹیریا....(مداخلت)....

شری غلام رسول کار : صاحب ان کے گھر میں فساد ہوگیا - شاہ صاحب نیشنل کانفرنس میں جنرل سکریٹری تھے خالدہ شیخ صاحب کی بیٹی تھی انہوں نے ایک علیحدہ جماعت بنائی - اصلی نیشنل کانفرنس وہ ہے - ہمارا کیا قصور ہے آپ گھر کی لڑائی ختم کیجئے آپ میں گلے ملئے - ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے..... (مداخلت).....

شری غلام محی الدین شال : ڈپٹی چیئرمین - میری ایک عرض ہے کہ انہوں نے کانگریس کنونشن میں ننگا پر کی وہ یہاں پر فرمائیں...(مداخلت)

....Withdraw your support. It will tumble down.

شری غلام رسول کار : محترمہ - میں عرض کر رہا تھا کہ ۱۴ اگست کی شام کو شال صاحب کو پوری طرح علم ہے - اخبار پڑھتے ہیں - ۱۴ اگست کی شام کو وہاں فتح کدل میں ایک ٹیمپل میں بم گرایا گیا - ٹیمپل کی دیوار ر گئی اور نقصان پہنچا - یہ بم کہاں سے آتے ہیں... (مداخلت)...پہلے آپ کرتے تھے اب جماعت اسلامی والے کرتے ہیں - آپ راہ راست پر آگئے - وہ بھی راہ راست پر آ جائیں گے - پہلے آپ ان کو سپورٹ کرتے تھے - آپ راہ راست پر آگئے - ہم ان کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے -

شری غلام محی الدین شال : ۱۳ مہینوں میں بتایئے کتنوں کو گرفتار کیا گیا کسی کو پکڑا بھی آج گرودوارہ بارہ مولہ میں ٹیرورسٹ بیٹھے ہیں چھ مہینے سے کہا جاتا ہے وہاں پر اور گنگوال میں ٹرین میں بم پھٹتا ہے اور پھر تین بار قاتلانہ حملہ ہوا فاروق عبداللہ پر - یہ ہے کل شاہ سرکار - آپ سپورٹ واپس لیجئے -

شری غلام رسول کار : محترمہ - آپ کو یاد ہوگا....(مداخلت).... جب ہم فرینڈ پالیسی کی بات کرتے تھے تب شاہ صاحب کہتے تھے کہ ایسے نہیں ہو رہا ہے....(مداخلت) ....آج شال صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے - ٹھیک بات ہے آج آپ ہماری تائید کر لیجئے کل آپ کو پبلک میں ہماری تائید کرنی پڑے گی - آپکو ہمارا راستہ اختیار کرنا پڑیگا - اور حالات کا تقاضہ ہے - قومی اتحاد کا تقاضہ ہے - ملک کا محب وطن ہونے کا تقاضہ ہے آپکو

ملک اب بھی کوشش کر رہا ہے - اب بھی کنفیوزن پیدا کر رہا ہے - کشمیر کے بارے میں - رائے شماری کے بارے میں - شملہ اور تاشقند اگریمنٹ کے بارے میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بحیثیت محب وطن کے آپکو ہمارا ساتھ دینا چاہئے اور ایسے عناصر کا ہمیں سیاسی سطح پر مقابلہ کرنا پڑے - جماعت اسلامی کا اور ایسے عناصر کا جنکی منفی سیاست ہو یہ ہی صحیح راستہ ہے - یہ صحیح راستہ اختیار کرنا چاہئے - میں اس ایکٹ کی پرزور تائید کرتا ہوں - ساتھ ہی یہ کہنا چاہتا ہوں مرکزی سرکار سے کہ پنجاب میں آپ نے اکارڈ کیا ہے - یہ بہت خوشی کی بات ہے - ویکم- لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا کہ وہاں پر کوچ فیکٹری ہوگی اور وہاں پر دس ہزار لوگوں کو کام ملے گا - آسام میں آپ نے اکارڈ کیا وہاں دو فیکٹریاں قائم کیں - ہم فیکٹریاں نہیں چاہتے ہیں - ساتھ میں ایک کنفیوزن ہے ہمارے ذہن میں - ۴۰ سال یہی ہم نے آپ کے ساتھ فرسٹریشن کیا ۴۰ سال تک آپ ریل کو کشمیر نہیں لائے سری نگر تک - آخر لوگوں میں ایک قسم کا کنفیوزن پیدا ہوتا ہے - ڈیڑھ ارب روپیہ آپ نے کوچ فیکٹری میں لگایا پنجاب میں - میں نہیں کہتا - ڈیڑھ نہیں تین ارب روپیہ آپ کو خرچ کرنا چاہئے

[شری غلام رسول کار]

ہمارے راستے پر چلنا پڑیگا - ہمارا راستہ قبول کرنا پڑیگا -

ڈپٹی چیرمین : شال صاحب آپ انکو بولنے دیجئے -

SHRI GULAM MOHI-UD-DIN SHAWL: Whenever my name is referred to, I have to reply. Our only contention is; withdraw you>- support and the Government will tumble down. It is a non-rep'resentative and Dunnet. Government.

شری غلام رسول کار : محترمہ میں عرض کر رہا تھا - شال صاحب نے ہماری ہر وقت تائید کی - اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو باتیں انہوں نے اپنی تقریر میں اٹھائیں وہ فیر ضروری تھیں - .... (مداخلت) ....

ڈپٹی چیئرمین : ہاشمی صاحب آپکا نام نہیں لیا ہے اسلئے آپ کرپیا بیٹھ جائیے -

شری غلام رسول کار : اس ایکٹ کا جہانتک تعلق ہے بائی پریزیڈنشل پروکلیمیشن وہاں آرٹیکلس فائل ہو چکا ہے - محض اس ایکٹ کی محدودیت یہ ہے کہ اس ایکٹ کو لاگو کر رہے ہیں کشمیر کے اندر - اور کشمیر کے حالات پنجاب کے حالات بھی آسام اور میزورم کے حالات بھی ایک بھو آیامی سطح پر ایک دوسرا

میں کہتا ہوں دس ہزار لوگوں کو نہیں بیس ہزار لوگوں کو کام دیدیجئے لیکن کیا کشمیریوں کو یہ حق نہیں کہ آپ ہمیں ریل دیدیں - ریل آنے سے قومی یکجہتی میں بڑھاوا ہوگا - تہذیب ایک دوسرے کی ملتی جلتی ہے - کلچر ملتا جلتا ہے - کنفیوژن بھی دور ہو جاتا ہے - آپ نے وہاں پنجاب میں پانچ ہزار لوگوں کو کام دینے کے لئے سی - آر - پی - میں یا بی - ایس - ایف - میں بھرتی کا اعلان کیا - یہ بہت خوشی کی بات ہے - خوش آمدید کرتے ہیں - ویلکم کرتے ہیں لیکن کشمیر ریاست میں اگر آپ صرف ڈیڑھ ہزار لوگوں کو مین سٹی میں لا کر انکو ملازمت دے کر جہاں دوسری ریاستوں میں لگا کر وہاں کے خصوصی طور پر بھانگے دھل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں بیکاری ہے - تعلیم یافتہ مسلمان بیکار ہیں - مسلمانوں میں گریجویٹ ہیں ایم - اے - ہیں ایم - ایس - سی - ہیں - جب آپ ذرائع محدود دیکھتے ہیں تو لازمی طور پر جب ان کے اقتصادی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تو لازمی طور پر ایک فرسٹریشن آ جاتی ہے - جب فرسٹریشن آ جاتی ہے تو وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ بری راہ پڑتے ہیں - وہ غلط سیاست میں پڑتے ہیں - وہ غلط ہاتھوں میں پڑتے ہیں -

آپ کاشمیر کو پنجاب کے ساتھ ملایئے - جیسے آپ نے آسام کا مسئلہ حل کر دیا - آپ آسام میں دو فیکٹریاں قائم کر رہے ہیں آپ ہزاروں لوگوں کو وہاں ملازمت میں بھرتی کر رہے ہیں -

عارف صاحب یہ وہی کشمیری ہیں جنہوں نے ۱۹۴۷ میں کہا تھا حملہ ور خبردار ہم کشمیری ہوتے ہیں -

شری عارف محمد خان : یقیناً -

شری غلام رسول کار : آج کیوں وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں - آج اس وجہ سے وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں - آبادی بڑھ رہی ہے - تعلیم یافتہ بیکاری بڑھ رہی ہے - جو ہمارے مرکزی دفاتر ہیں وہاں آپ دیکھ لیجئے کہ ان میں کون بھرتی ہے کونسے فرقہ کے لوگ ہیں - ایک پرسینٹ بھی وہاں سینٹ والا ملازمت میں نہیں ہیں - سرکاری دفاتر میں ملازمت میں نہیں ہیں - نیشنلائزڈ بینکس میں - اور جب یہ صورتحال ہو تب نوجوانوں میں فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے -

میرے پیٹریاٹزم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا -

شری عارف محمد خان : یقیناً -

شری غلام رسول کار : میں نے دو بار پاکستانیوں کا مقابلہ کرکے گولی

[شری غلام رسول کار]

کہانی ہے - لیکن میں علی الاعلان کہنا چاہتا ہوں جبتک آپ کشمیر میں سری نگر تک ریل نہیں لاتے جبتک آپ کشمیر کو یہاں کے مین اسٹریم میں ملازمت میں انوالو نہیں کرتے - فوج میں انوالو نہیں کرتے - سی - آر - پی - میں بھرتی نہیں کرتے - ریل کے محکمے میں بھرتی نہیں کرتے انکو انکا پورا حق نہیں دیتے تو ایک قسم کی فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے -

میں آپ سے گزارش کرتا ہوں - آپکی وساطت سے اپنے محبوب پردھان منتری سے - نوجوان پرائم منسٹر سے کہ وہ کشمیر کی طرف توجہ دیں وہاں کارخانہ کھلنا چاہئے - جو کچھ آپ نے آجتک کیا ہے ہم مرہون منت ہیں مرکزی سرکار کے کہ آپ نے کافی پیسے ہمیں دیئے - ہم نے بجلی پیدا کی - ہم نے گاؤں گاؤں سڑکیں پہنچائیں - ہم نے پل بنائے ہم نے کالجز کھولے - دو یونیورسٹیز اور دو میڈیکل کالج کھولے لیکن بیکاری ہے - وہاں تعلیم یافتہ بیکاری ہے - اسکو کم کرنے کی طرف توجہ دیجئے اور یقین جانئے کہ کشمیر آپکا ہے - کشمیر آپکا رہے گا - ہمیشہ رہے گا - اسکے ساتھ ہی میں اس ایکٹ کی تائید کرتا ہوں -]

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, India has completed 38 years of independence only a few days back and ag a citizen of this great country I am one and second to none in expressing my total sympathy and solidarity with the feeling that the unity and integrity of the country comes foremost and to this end if even some strong -measures like this Bill have to be brought on the statute book, I think everyone of Us should welcome it. Only last year wo discussed *in extenso* when the original Bill came before us. No doubt there were differences of opinion on the term 'terrorism' which was expressed in the orginal Bill be-as all-encompassing in nature and under this anybody or everybody can be described as a terrorist. But be that as it may, the Home Minister at that time gave a very responsible reply and the Bill is

j . now on the Statute book. What this Bill seeks to achieve is only a limited amendment, that it should be extended to the State of Jammu and Kashmir. I don't think that there should be so much of difference of opinion about extending our support. I fail to agree with the other opposition Member* who have opposed this Bill...

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): You are not , opposition. Why do you call 'other Opposition Members'?

SHRI R. RAMAKRISHNAN: That again is a matter of opinion whether we are Opposition. I would like to tell Mr. Upendra, Opposition does not mean only having to oppose every-thing and any thing for the sake of opposition.

Anyway, now I have got my own reservations about this having been brought as an Ordinance particularly when the Government knew that the Parliament Session wag only a few days away, rather round the corner, and they could have taken all the ftecesary steps to get the concurrence of the State Government and they could have well brought straightway a Bill before Parliament and not by way of an Ordinance. This is the same

trend which is "there in the Central Goernment as well as in many State Governments which I think is not a healthy one.

Whenever a Legislature or Parliament is in session or is going to be in session, the Government can alwaysi wait for a few days and bring forward the concerned legislation in a right royal manner and get the approval of all concerned.

There are so many exchanges of views here. Madam, about the hapen-ings in Jammu and Kashmir. I will not add to the controversy or pour any oil over it. But there is definitely a case for a reference to this article, that is, article 370, and there is definitely a need to see whether this Bill encroaches on the rights of the States. But the Central Government has already constituted the Sarkaria Commission and I think that will be the enore appropriate forum to disscuss these larger issues.

Coming to this particular Bill, Madam, I would like to join others in condemning terrorism wherever and in whatever form it may be there. Only recently, we have seen the unfortunate episodes in Punjab coming to an end because of the bold and pragmatic decision taken by the Prime Minister in having an accord with Sant Longowal. While welcoming this and also the recent accord which hag been arrived at with regard to the Assam problem, I would like to say that this type of give-and-take across-the-table agreements should become a healthy precedent to solve the other problems within our country and also fith our neighbours.

Madam, this monrning, my honour able collegue and friend, Shri R. Mohanarangam, was making a Special Mention about the unfortunate hap penings -in S ri Lanka which have led to the near collapse of the Ehimpu talks. Why I am bringing in the Sri Lankan issue while discussing the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Amendment Bill, I would like to tell the Minister, is that State terrorism should also be stopped, in whatever loren it may be there or in whatever manner it may he resorted to. I think the Government of India, through its delegation at the UN last year-I think Mr. Bhandare was the representative there— had condemned State terrorism and it is rather unfortunate that, when things are coming to a near solution, some hawk? in the Sri Lanka Government are trying to disrupt the atmosphere which has led to a considerable loss of face for both the sides and, more than that, it has created a very unhappy situation. You all -would have seen the sordid reports of as many as 500 people having been killed, after having been dragged out of their houses, and of children being killed and of Women being raped and, Madam the atrocities which are going on there for the last one year against the innocent Tamils in Sri Lanka have served to give a new fillip in the name retaliatory attack and thig should be wholly condemned one and all. Though Delhi is far away from the Capital of Sri Lanka, the fall-out is very immediate in Tamil Nadu and tempers are running high there and I would like to take this opportunity of requesting through you. Madam, the Home-Minister and the Minister of State for Home Affairs who is here and also aopeal to our honourable Prime Minister to use his good offices even at this late stage in seeing that the situation becomes normal and the talks go on and the whole thing comes to a very satisfactor vend as in other places.

Now, Madam, coming to the question of the unlicenced arms factories in the country, there are so many newspaper reports that in UP., Bihar and in other places, a number of unlicensed arms factories have sprung up and these are the exact places which give arms of the terrorist whenever thev are and added to this we have Pakistan as our negihobour which is encouraging the forces of destabiliziation in our country and we have a real problem on our hands. As my friend Mr. Kapil VeVma was saying this morning large-scale gun-running is taking place on the borders,

[Shri R, Ramakrishnan] whether it is from Pakistan or through Nepal or even through the North. Eastern borders. Sir, this is a problem which the Government of India, particularly the Ministry of Home Alrairs, should tackle and they should see that the supply of arms to the terrorists is stopped. Unfortunately, even in Delhi, full facts have not come to light. But the unfortunate murder of Shri Lalit Maken and his wife is also linked to the terrorists and I think that it is a Tight step that the Government of India has taken in bringing forward thi$_s$ Bill and putting it on the Statute Book.

Before I conclude, Madam, i would only like to make only one more point and it is this that the Central Government should ensure that these strong Bills which are there on the Statute Book are not misused against political rival$_s$ or political enemies. No doubt, some members from the Treasury Benches have also given statistics to say that even under the NSA not even a single person has been booked and that even this Act will not be used against political rivals or political enemies. But it is the bounden duty of the Central Government to see that even the State Governments do not take advantage of any loopholes in this sort of legislation to see that they settle scores with political rivals, because that is not the object for which the Bill has been brought.

With these words, I support and welcome this Bill. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Keshavprasad Shukla.

श्री केशव प्रसाद शुक्ल (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 1985 का समर्थन करता हूं । आतंकवादी गतिविधियों से हमारे देश को कितना नुकसान हुआ है यह सबको मालूम है । हमने पंजाब में इसका भयंकर तांडव नृत्य देखा है जहां पर हजारों निरीह निरपराध लोगों की हत्याएं हुई हैं और उसी कड़ी में हमारी महान नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी का बलिदान भी आता है । ऐसी गतिविधियों से देश को खतरा है, देश की एकता और अखंडता को खतरा है और उनको रोकना सरकार का परम कर्तव्य है । इसी से इस आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पिछले सत्र में लोक सभा और राज्यसभा दोनों में एक विधेयक पास किया गया । आतंकवादी और विध्वसकारी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक पास किया गया लेकिन उसको उस समय काश्मीर में लागू नहीं किया गया था । इसलिए यह विधेयक संशोधन के रूप में लाया गया है। यह बहुत छोटा सा विधेयक है । इसको बहुत तूल दिया गया है और इसमें बहुत से राजनीतिक मसले लाए गए हैं । मैं उस तूल में जाना नहीं चाहता । इसपर आपस में बहुत विवाद हो चुका है । मैं तो केवल इसलिए इसका समर्थन करता हूं कि यह विधेयक पहले ही काश्मीर में लागू कर देना चाहिए था, किन्तु संविधान का आर्टिकल 370 जो है उसके कारण काश्मीर की एक स्पैशल स्थिति होने के कारण उस समय इसको लागू नहीं किया गया था और पूरे हिन्दुस्तान में इसको लागू किया गया था । यह एक लैक्यूना रह गया था । काश्मीर हमारा एक सेंसटिव पार्ट है और वह हमारे देश का अभिन्न अंग है । वहां पर ऐसी कार्यवाहियां सुनने में आती हैं और अखबारों में पढ़ने में आता है जिससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान की गिद्ध दृष्टि उस पर लगी हुई है और अभी 15 तारीख को आपने पढ़ा होगा कि वहां पर पाकिस्तानी झंडे फहराए गए और वहां पर पकिस्तान की मांग करने वाले शायद कुछ लोग मौजूद हैं जो आतंकवादी गतिविधियों से देश की अखंडता को खतरा पैदा कर रहे हैं । इसलिए ऐसी सूरत में ऐसी पाकिस्तानी कार्यवाहियों को बंद करने के लिए काश्मीर में इस एक्ट का लागू करना जरूरी था और इसीलिए वह लागू किया जा रहा है ।

इस अधिनियम में, जैसा कि संशोधन किया गया है, जो दंड की व्यवस्था की गई है वह बहुत उपयुक्त है । हमारे देश में जो पहले का दंड विधान है उस में हत्या, आगजनी, लूटपाट इत्यादि के लिए कुछ विधान है, लेकिन इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के लिए विधान नहीं था । आतंकवादी गतिविधियां क्या हैं इसकी परिभाषा नहीं थी । इसमें इसकी परिभाषा की गई है और उसके लिए दंड की जो व्यवस्था की गई है वह बहुत उचित है । उसमें हत्या के आरोप में आपने आई० पी० सी० के अधीन कारावास का दंड रखा था, किन्तु आतंकवादी गतिविधियों के कारण यदि कोई हत्या की जाती हैं और आतंकवादी के खिलाफ अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे केवल मत्यु दंड की सजा दी जाएगी, यह प्रावधान इसमें रखा गया है । ऐसा करने से लोगों को मालूम होगा कि अगर आतंकवाद से हत्या होने का आरोप सिद्ध हो जाएगा तो मृत्युदंड ही मिलेगा । ऐसी जानकारी लोगों को होनी चाहिए और इसलिए दंड का जो विधान रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

इसके अलावा और दूसरी जो गतिविधियां हैं जिनमें विध्वंसात्मक कार्यवाही होती है तो उसके लिए तीन साल की सजा कम से कम और आजन्म कारावास की सजा रखी गई है । इसी तरह से अगर हत्या की साजिश करना या हत्या के लिए उत्तेजित करना या हत्या के काम के लिए प्रेरित करने की जहां तक बात है, ऐसे आरोप सिद्ध होने पर उस व्यक्ति को कम से कम पांच साल की सजा और अधिक से अधिक आजन्म कारावास की सजा दी जा सकती है । यह अच्छा कदम है । हमारे देश में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको कड़ाई के साथ रोकने के लिए यह प्रावधान बहुत उत्तम है और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

हिंसा की राजनीति प्रजातंत्र में लागू नहीं होती । प्रजातन्त्र में हर व्यक्ति को अपनी मांगें चाहे वे आर्थिक हों या राजनीतिक रखने का अधिकार होता है । जो विविध जन हैं देश में उनको अधिकार हैं कि वे अपनी मांगों को रखें लेकिन उनमें हिंसा का समावेश होना दुखदायी है । इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए । लेकिन जब आन्दोलन शुरु होते हैं तो उनमें आगे चलकर कुछ असामाजिक तत्व हावी हो जाते हैं और वे देश की सम्पति और जीवन के हितों का ध्यान नहीं रखते । इससे जनतन्त्र को बड़ा नुकसान पहुंचता है । आंदोलनकारी अपनी मांगे मनवाने के लिए आन्दोलन करते हैं, लेकिन उस आन्दोलन में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए । वह आन्दोलन अहिंसक होना चाहिए । पंजाब में हमने देखा कि अकालियों ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक मांगों को लेकर जो आंदोलन किया उसमें कुछ आतंकवादी शामिल हो गए । उन्होंने अकालियों को बदनाम किया, लेकिन बाद में हम अपने नेता राजीव गांधी को धन्यवाद देते हैं कि उनकी सूझबूझ और उदारता के दृष्टिकोण से जो समझौता पंजाब के बारे में लोंगोवाल जी के साथ किया, जिसमें उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, उस से आतंकवाद का पर्दा फाश हुआ और यह मालूम हुआ कि वे समाजविरोधी तत्व थे जो बाहरी ताकतों के सहारे पंजाब में उत्पात कर रहे थे और अब वे अलग-थलग पड़े हुए हैं । इस तरह से पंजाब में जो आतंकवादी गतिविधियां थीं उनकी जड़ में कुठाराघात करने का प्रयास किया गया है । वह एक प्रशंसनीय कदम है और इसलिए मैं अपने नेता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण काम किया और अपने देश की अखंडता और एकता की रक्षा करने के लिए कदम उठाया । उसके लिए वे हम सबके धन्यवाद के पात्र हैं । मैं समझता हूं कश्मीर में जो विघटनकारी तत्व और आतंकवादी तत्व हैं इस विधेयक के पास होने के बाद उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । आपने इस संबंध में

[श्री केशव प्रसाद शुक्ल

बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं ।

SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO (Andhra Pradesh); Madam Deputy Chairman, the Government has now introduced this Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Amendment Bill to enlarge the scope of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act which we passed in last March to the State of Jammu and Kashmir. Madam that was the time when the terrorist movement was at its height in the country and everybody said that some steps were necessary to crush the terrorist. Likewise, we also appealed that instead of mere Acts, it is necessary to have politico-socio-economic settlement here. Likewise, our Prime Minister rightly sought an agreement with the Akalis and he defused the terrorist activities there. But mere enactment of legislation or passing this Bill cannot prevent the terrorists as they are a mad lot, a desperate lot and we cannot prevent their activities through a political settlement only. We can only defuse the situation. Still the terrorist danger is there in the country.

Madam, my humble submission is that we miserably failed in preventing the terrorist activities. That is why we lost the precious life of our Prime Minister. Then there were the bomb blasts in Delhi. And after the passing of the legislation, the latest one was that our MP, Shri Lalit Maken, along with his wife was shot dead brutally in open daylight in the Capital. So, there is something lacking in our Police Force and in our Intelligence Force, and drastic changes are necessary in the Intelligence and the police Force. We say that you punish a terrorist deterrently. But a terrorist who is a misguided youth, is prepared for his life and he is not afraid of anything. So, this is necessary to prevent such a thing and social consciousness is necessary and awareness in the people is necessary in order to see that terrorists are eliminated. Then there is another aspect. Madam, I humbly submit that there is an intelligence report that we lost he precios life of our Prime in Delhi there are hundreds of terrorists who came across the border to Delhi in order to do some mischief in the Capital before the 15th August. It is a fact. It has been revealed in the reports of the Intelligence Department. But unfortunately not even one terrorist has been traced uptill now. What has happened to these hundred terrorists? So it is clear that there is some lethargy, there is some inaction, there is some wrong in the police machinery. We have therefore, to see and the Government has to see that the police machinery rnd the intelligence machinery become more alert.

Madam Deputy Chairman, by this Amendment Bill we are extending the Act to the State of Jammu and Kashmir. Kashmir is an important border State. They have got a sensitive appeal also. But in Kashmir the Government has committed a grave Kashmir there is no people's Gov-history. It has to be corrected. In mistake, the previous Government, and there,is a grave mistake in the ernment. It is not the wish of the people. We passed an Anti-Defection Bill. We wanted clean politics in the country. But the whole Cabinet is a defector Cabinet and nobody can say that there is a legitimate Government. Technically one can say that there is a Government but it is a puppet Government.

SHRI DEBA PRASAD RAY (West Bengal): On a point of order, Madam, what has happened in Kashmir, was not defection. Even as per the Anti-Defection Bill, that has been interpreted as... *(Interruptions^.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shawl, his point of order is addres sed to the Chair. *(Interruptions).* Either you should decide or I should decide. No, you please sit down. Mr. Shawl you have already spoken. If a Member has to ask something on a point of older, it is for the Chair to decide. Please sit down. *(Interrup tions).* It is all right. Let him make his point.

Kashmir people say that it is a splinter Government. But this is the land of Mahatmaji. This is the country of some moral values. Are we conscious that it is a defection or moral turpitude, selling of the people to one Government? In this way the country will not flourish. What we speak, we must act on. I feel that every Member of the other side if they think correctly and conscientiously they can appreciate it. Definitely I wish our Prime Minister, who is expecting clean politics, will do something on this sensitive issue so as to usher in a new Government in Kashmir and have elections on the hasis of the will of the people and let them decide. With these words, Madam, I say that prevention of defection and cleanlines in politics is necessary and proper reorganisation of police is necessary. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN. Shri Hashim Raza Abidi Allahabidi—not present. Shri Sukhdev Prasad.

श्री सुखदेव प्रसाद (उत्तर प्रदेश) : मैडम डिप्टी चेयरमैन, आज जो बिल हाउस में पेश हुआ है, उसके सम्बन्ध में मैंने अपने विभिन्न साथियों के विचार सुने । उनके विचारों से यह लगा कि एक, बात तो सर्वसम्मत हैं कि इस बिल को जम्मू काश्मीर में लागू करने का औचित्य है । लेकिन जो शंकायें हमारे साथियों ने प्रकट कीं, उससे यह लगता है कि जब से यह ऐक्ट लागू हुआ तब से इसमें बहुत सारी गड़बड़ी पैदा की गई । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब पिछले साल आपका बिल पास हुआ और उसके बाद वह लागू हुआ तब से लेकर अब तक कितनी गड़बड़ियां इसके तहत हुई हैं ? मैं समझता हूं कि कोई माननीय सदस्य इस बात के लिए तैयार नहीं है कि कोई इस बात का सबूत दे कि इसका कहीं मिसयूज हुआ हो । तो फिर जब बिल का अमेंडमेंट जम्मू-कश्मीर तक ले जाते हैं तो फिर इस में शुबाह की गुंजाइश कहां रह जाती है । मेरे बहुत सारे साथियों ने इस बात को उठाया और इस बात की शुबाह पैदा की कि इसका मिसयूज होगा और जम्मू-काश्मीर में इसको लागू नहीं किया जाना चाहिये । यह बिल गलत है । लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं जो मुल्क के अन्दर इस तरह की आतन्कवादी गतिविधियों हो रही हैं और उस बिल को जो लागू किया गया, उसके तहत गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारे लोग मारे गये तो क्या आप यह समझते हैं कि रुलिंग पार्टी के ही लोग मारे गये या वहां आतंक में हमारी जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के नेता या दूसरे हमारी पार्टियों के नेता मारे गये ? इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि इसमें सभी पार्टियों के लोग मारे गये । अगर दो राय नहीं हैं तो इसमें शुबाह करने की कोई गुंजाइश नहीं । जहां तक इस बात का प्रश्न है कि जम्मू-काश्मीर में इसे क्यों लागू किया जा रहा है, इसके औचित्व के बारे में और अधिक नहीं कहना है । लेकिन मैं यह चीज अपने काश्मीर के शाल साहब से जो मेरे साथी हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस बात के लिये बहुत जोर दिया है कि यह करप्ट गवर्नमेंट है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह ये जो गुल शाह के समय में कांड हो रहे हैं क्या इसके पहले कभी नहीं हुए ? हमारे हाकी के प्लेयर जो दूसरे देश के साथ मैच खेल रहे थे उनके साथ वहां क्या तमाशा हुआ ? क्या यह गुल शाह के समय में हुआ ? कश्मीर शहर में जो बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां हुईं उसमें कितने ही लोग मारे गये उस समय क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी ? क्या इसमें गुल शाह सरकार की सारी जिम्मेदारी थी ? मैं दूसरी चीज यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को नहीं महसूस करते हैं कि जो पाकिस्तान में आतंकवाद का प्रशिक्षण हो रहा है जो उनको तालीम दी जा रही हैं वे यहां आ कर पंजाब के रास्ते, राजस्थान के नाते, कश्मीर के नाते हमारे देश में हिडरेंस पैदा नहीं कर रहे हैं ? अगर वे हिडरेंस पैदा कर रहे हैं तो क्या हमारा यह फर्ज नहीं है कि हम साईचिन के लिये उन पर दबाव डाल सकें ? पाकिस्तान से मिल कर, कश्मीर के जो हमारे बहुत से नाजुक प्वाइंट हैं उनके बारे में उन पर दबाव डाल सकें ? अगर हम उनके बचाव के लिये, अपने हिस्से को बचाने के

[श्री सुखदेव प्रसाद]

लिये, आतंकवाद के खिलाफ कोई बिल लाते हैं, कोई कानून पास करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं ।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि मुल्क के अन्दर जिस तरह की परिस्थितियां चल रही थीं, आज मुझे खुशी है हमारे युवा प्राइम मिनिस्टर ने किसी तरह से उन पर काबू पाया और काबू पाने के साथ-साथ आज मुल्क राहत की सांस ले रहा है, पंजाब राहत की सांस ले रहा है, असम राहत की सांस ले रहा है और कुछ और छोटी-मोटी चीजें होंगी, मेरा ख्याल है कि उनकी सूझबूझ से सारे मसले हल हो जायेंगे ।

जहां तक मुल्क में ला एंड आर्डर का प्रश्न है इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि आतंकवादी आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में अपना पंजा जमा रहे हैं । शायद कोई मुल्क ऐसा बचा हो जिसमें आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियां तेज न की हों । हर मुल्क अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इस तरह का कानून उनके खिलाफ पास कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। उसी के तहत हिन्दुस्तान भी अपने कानून बना कर मुल्क के अन्दर एक्शन ले रहा है और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा । —इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ साथी भले ही कुछ बातों में मतभेद जाहिर करते हों, लेकिन जहां तक इस बिल की मंशा है, उससे वे सहमत होंगे ।

श्री धर्मचन्द्र प्रशस्त (जम्मू और काश्मीर) : उपसभापति महोदय, आज जो विधेयक सदन में पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । यह अच्छा किया गया है । यह विधेयक जम्मू-काश्मीर पर भी लागू किया गया है । लेकिन मुझे इसमें शंकाएं हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे उनका कुछ समाधान कर दें । आर्टिकल 370 के अन्दर कोई भी विधेयक यहां पर पेश होता है तो वह वहां लागू नहीं होता है । यह एक दो विधेयक है जिसमें यह लिखा है कि This will not apply to Jammu and Kashmir. मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी विधेयकों में आपने यह क्यों नहीं लिखा ? इसका मतलब यह है कि बाकी विधेयक जब यहां पर पास हो जाते हैं तो वे वहां पर लागू हो जाएंगे । सिर्फ यही विधेयक वहां पर लागू नहीं होगा मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है । सन् 1975 में अब इमरजेन्सी डिक्लेयर हुई तो वह जम्मू काश्मीर पर भी लागू हो गई थी । मैं समझता हूं कि उस वक्त उस बिल में यह नहीं लिखा था कि यह जम्मू-काश्मीर पर लागू नहीं होगा । जब इस विधेयक के बारे में कुछ नहीं लिखा गया तो यह समझा गया कि जम्मू-काश्मीर में टेरोरिज्म, आतंकवाद नहीं है, इसलिए वहां पर लागू नहीं हो रहा है । बाद में हमारे संसद्-सदस्य श्री घावे जी ने पूछा तो कानून मंत्री जी ने बताया कि यह विधेयक आर्किटल 370 के अन्दर लागू नहीं हो रहा है । इसका मतलब यह है कि आर्टिकिल 370 के अन्दर कोई भी बिल लागू नहीं होगा । मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह जो आर्टिकल 370 है, जिस वक्त यह आर्टिकल पास हुआ, when it was incorporated into the constitution of india यह ड्राफ्ट कांस्टिट्यूशन में नहीं था । उस वक्त सेन्टर में श्री गोपालस्वामी आयंगर मिनिस्टर थे । वे जम्मू-काश्मीर में छः साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे । बड़े कम्पीटेन्ट प्राइम मिनिस्टर थे । उन्होंने वजा तौर पर कहा कि यह जो आर्टिकल 370 हम रख रहे हैं यह टेम्परेरी और ट्रांजिसनल हैं । इस वक्त जम्मू काश्मीर का केस यू०एन०ओ० में है । जैसे ही वहां से यह मामला हट जाएगा, यह आर्टिकल भी हट जाएगा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब आप इसको कितने साल तक टेम्परेरी दर्जा देना चाहते हैं ? इसकी लिमिट कितनी है ? स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से एक संसद् सदस्य ने पूछा था कि इस धारा को आप उड़ा क्यों नहीं देते है ? उन्होंने कहा कि यह घिसते-घिसते घिस जाएगा । श्री गोपालस्वामी आयंगर ने कहा था कि यह टेम्परेरी और ट्रांजिसनल है । पांच

साल पहले शेख अब्दुल्ला ने जब वे जम्मू-काश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे ऐसेम्बली के अन्दर लिखित बयान में कहा था कि This article is not sacrosanct. इस आर्टिकल में दो चीजें हैं। एक जम्मू काश्मीर का स्पेशज दर्जा है और एक इसकी नागरिकता का सवाल है। जहां तक स्पेशल स्टेटस का संबंध है, मैं इसके विरुद्ध नहो हूं। यह रहे। यह इसलिए नहीं कि यह मुस्लिम मेजोरिटी का स्टेट है, बल्कि इसलिए कि यह बैकवर्ड स्टेट है, पाकिस्तान से घिरा हुआ है। यह स्पेशल स्टेटस रहे बेशक, लेकिन नागरिकता का सवाल हमारे सामने है। उस दिन गृह मंत्री जी ने कहा था कि सारे भारत की नागरिकता एक है। जम्मू काश्मीर में यह स्थिति नहीं है। बाहर का कोई भी आदमी वहां जमीन नहीं खरीद सकता है, भारत का कोई नागरिक वहां जमीन नहीं खरीद सकता है चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों न हो। एक इंच जमीन भी नहीं खरीद सकता है। आप सुनिये, बाद में बोलिये।

उसके बाद इसकी जो नागरिकता है वह यह है कि 1947 में जितने लोग पाकिस्तान से भारत में चले आये तो वे यहां के नागरिक हो गये। लेकिन यहां से उन्हें बाहर जाना पड़ा क्योंकि वे यहां रह नहीं सकते थे। लेकिन 30 हजार हरिजन परिवार यहां आकर सेट हो गये। वे वहां 37 सालों से सेटल हैं वहां बैठे हुए हैं, बार्डर पर हैं, लेकिन वे वहां के नागरिक नहीं है। 37 साल पहले जो व्यक्ति आया था, उसके लड़के हुए, लड़के के भी लड़के हुए, तीन जनरेशंस हो गई हैं, लेकिन वे वहां के नागरिक नहीं हैं। वे वहां पर कोई सरकारी ठेका नहीं ले सकते हैं, वे किसी इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते हैं, चाहे वह पार्लियामेंट हो, चाहे असेम्बली हो, चाहे टाउन एरिया हो, चाहे म्युनिस्पैलिटी कमेटी हो, वे कहीं भी वोट नहीं दे सकते। यह इसलिये कि वे वहां बाहर से आये हैं। अब जैसे एक लड़की है, उसकी शादी रियासत से बाहर हो जाती है तो इससे उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं उसके वहां नागरिकता के जो सारे अधिकार हैं, जायदाद के जो अधिकार हैं वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अगर लड़की विधवा हो जाय तो जब तक वह रियासत में दूसरी शादी न कर ले तब तक वह वहां की नागरिक नहीं रह सकती। ये विषय हैं जो सभी के अन्दर चल रहे हैं। मेरी यह मांग है कि जो बिल आप पास करते हैं उन सब पर आप लिखिये इट बिल नाट अप्लाइ टू जे एण्ड के, यह ट्रांजिशनल टेम्पोरेरी प्रोविजन है, इसका प्रबन्ध कर दिया जाए ताकि पता लगे कि यह टेम्परेरी है इसलिये मैं आपसे यही कहूंगा कि जहां तक 370 की स्प्रिट का सम्बन्ध मुझे पता नहीं था। मैंने इस पर तीन किताबें पढ़ी हैं। लेकिन इस पर भी इसकी स्प्रिट का मुझे नहीं पता था। एक आदमी ने, ही वाज वन आफ दि आथर्स आफ दि आर्टिकल 370 उन्होंने समझा तो पता लगा कि इसके अन्दर क्या स्प्रिट है। अब मुझे पता है। लेकिन मैं भारत सरकार से यह कहूंगा कि आप यह जो 370 आर्टिकल है इसको उड़ा दें। काश्मीर का दर्जा एक स्टेट का रखें। इस 370 आर्टिकल के अन्दर कई हत्यायें हो रही हैं लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आर्टिकल 370 को हटा दें ताकि वे लोग जो यहां रह रहे हैं वे पूरी तरह से यहां के नागरिक रह सकें।

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Madam Deputy Chairman, I am thankful to the hon. Members who have taken part in the disussion, thankful to those who have supported the Bill and also thankful to those who have criticised and opposed the Bill because they have also enlightened us about many aspects. I am sure that while implementing the provisions of thir Bill whatever)ia3 been discussed in the House will always be kept in view.

प्रशांत जी ने पूछा है कि कानूनी दिक्कत क्या थी इस विधेयक को उस समय, जब यह बाकी पूरे देश पर लागू हुआ था, उस समय काश्मीर पर लागू करने में। संविधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत यह संसद विधेयक बनाने का

[Shri Aril Mod. Khan]

अधिकार हासिल करती है और उसी के अन्तर्गत यह राय थी कि काश्मीर पर कानून लागू करने के लिये, खासतौर से, आतंकवाद से संबंधित जो धारा है, उसमें जिस एन्ट्री से संसद अधिकार प्राप्त करेगा वह एन्ट्री उस लिस्ट में नहीं है, जिस लिस्ट में हर रियायत की हुकूमत की मर्जी के और उनकी रजाबन्दी, उनसे सलाह किये बगैर हम कानून बना सकें।

The hon. Members have objected and taken exception to this legislation being issued in the form of an Ordi nance. Many hon. Members have said that since Parliament was going to meet, where was the need to issue an Ordinance? Madam, I feel that when Parliament had put its seal of approval in the last Session, vhe Par liament had made its intention known. In fact, I do not know about this hon. House, but in the other House many hon. Members had mo ved amendments saying that the scope of the Act should be extended to the State of Jammu and Kashmir also. Even Members belonging to the party of Mr. Shawl, also did not object to the scope of the Act being extended to the State of Jammu and Kahsmir, though they were critical of the State Government. But Mem bers belonging to the Opposition par ties also had demanded this and while responding to the points made by the hon. Members from the Oppo sition, the Law Minister had assured that it was intended to be done after the Act was passed. The procedure to be followed in achieving the object of extending- the whole of the Act to the State of Jammu and Kashmir was considered in consultation with the Ministry of Law and Jusitce. it was considered that some amendment to the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order 1954 would be required before the Act could be made applicable to that State. Madam, after taking all those steps, which were required, the Ordinanace was issued. This was discussed ui very great detail. Today the purpose of coming t_0 Parliamnet with this legislation is very limited—i.e. to extend the scope of this Act to Jammu and Kashmir State. As far as the main body of the Act is concerned, both Houses of Parliament had discussed it in details and had put their seal of approval of it.

अश्विनी जी ने जिन्होंने शुरुआत की थी मैं उन्हीं की बात से आ रहा हूं। अश्विनी जी ने भी कहा और भी माननीय सदस्यों ने धारा 370 के बारे में कहा। महोदया, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि आज हम धारा 370 पर चर्चा करने के लिए जमा नहीं हुए हैं। आज इस चर्चा का उद्देश्य बहुत सीमित है एक ऐसा कानून जिसके ऊपर दोनों सदन अपनी राय पहले ही दे चुके हैं कुछ संवैधानिक अड़चनों के कारण जिसको हम एक विशेष राज्य तक नहीं बढ़ा पा रहे थे उसके लिए इस सदन की अनुमति लेना, लेकिन हम यह मानते हैं कि यह इससे सम्बन्धित मामला नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में पूरा चेप्टर ही है जो इस स्पेशल और टेम्पोरेरी प्रोविजन से डील करता है और उसमें एक राज्य नहीं है हमारे देश के कई एक राज्य हैं कई एक क्षेत्र हैं जिन के ऊपर इन टेम्पोरेरी प्रोविजंस को लागू किया जाता है लेकिन आज चूंकि उस पर चर्चा नहीं हो रही है इस इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। इसलिए यह जो सवाल किया गया है कि उस धारा को कब तक खत्म किया जाएगा मैं समझता हूं उसके लिए उचित व्यक्ति मैं नहीं हूं कि मैं उसका जवाब दे सकूं। मैं तो वही बात दोहराउंगा जो बात सरकार बार बार कह रही है जो सरकार का स्टैंड है वह यह है कि हम इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। अब एक बात यहां पर तकरीबन सभी दलों से सम्बन्ध रखने वाले माननीय सदस्यों ने जोर दे कर कही है और वह बात यह है कि यह कहा गया कि आतंकवाद को खत्म

करने के लिए केवल कानून से आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। बार-बार यह कहा गया है कि पंजाब की समस्या का समाधान अगर बातचीत से हुआ आसाम की समस्या का समाधान हुआ तो बातचीत से हुआ फिर कानून की क्या जरूरत है । मैं यह मानता हूं पहली बात तो यह है कि इस कानून का उद्देश्य असम समस्या, पंजाब समस्या काश्मीर समस्या या देश के किसी दूसरे क्षेत्र में पनप रही किसी समस्या से निपटने के लिए यह कानून नहीं बनाया गया है ।

यह कानून लाया गया है आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए । इसका ऐसी किसी समस्या से कोई संबंध नहीं है जहां कोई राजनीतिक मांगें रखी गई हों, किसी क्षेत्र के विकास के लिए कोई मांगें रखी गई हों, किसी राजनीतिक दल द्वारा मांगें रखी गई हों ।

मैं दोनों को मिलाने से इन्कार करता हूं और मैं यह समझता हूं और इसीलिए यह गौर कर रहा था कि ज्यादा देर तक चर्चा काश्मीर की घटनाओं पर चलती रही, इस विधेयक से संबंधित चर्चा कम हुई।

मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य है—किसी क्षेत्र की समस्या को हल करना, उसके लिए दूसरे तरीके हैं और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है हमारे लिए, हम बार-बार दोहराते हैं बातचीत का जरिया । बातचीत के तरीके से अपनी समस्याओं का—लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है कि किसी क्षेत्र में कोई राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, किसी दल द्वारा अगर ऐसा आंदोलन चलाया गया, उस वक्त जब समाज-विरोधी, हिंसा में विश्वास रखने वाले तत्व आतंकवाद का सहारा लेकर उस मौके का फायदा उठा कर अपराध कर जाते हैं, आतंकवाद की घटनाएं कर जाते हैं, मासूमों की जान ले लेते

हमारे इस विधेयक को लाने का उद्देश्य यही है कि हम इन तत्वों की कार्यवाइयों को नियंत्रित कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें, उनको रोक सकें ।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि बार-बार यह बात की गई है कि बातचीत के जरिए ऐसे मामलों को ज्यादा सुलझाया जा सकता है, सरकार के पास अगर यह शक्ति होगी कि सरकार उन साजिशों का मुकाबला करने की शक्ति रख सके जो साजिशें हिंसात्मक और आतंकवाद के तरीकों से की जा रही हैं, तो फिर शायद उन तत्वों को हम काबू में कर सकें। तो फिर जो सेन एलिमेंट्स हैं, जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए, फिर शायद बातचीत भी ज्यादा कामयाबी से हो सकती है और ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है ।

काश्मीर के बारे में जो बात हुई, मैं पूरी तरह कार साहब ने जो कुछ कहा है, मेरी पूरी हमदर्दी है उन बातों के साथ, जो आपने कहा, मैं भी यह मानता हूं कि वह इत्तिहाद के नजदीक लाने के, एकता के, इन सभी तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए । इसमें कोई शक नहीं है ।

अब माननीय सत्यप्रकाश मालवीय जी कह रहे थे काश्मीर के बारे में, मेरे बारे में कुछ कह रहे थे—बात सही है, मैं अक्सर जाता रहता हूं और मैं यह महसूस करता हूं कि जहां एक तरफ अखबार में छपने वाली कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ कर चिंता होती है, वहां दूसरी तरफ उन लोगों की कमी नहीं है काश्मीर की घाटी में जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं । इसमें भी कोई शक नहीं है कि एक नहीं अनेक ऐसी मिसालें हैं, जहां विदेशी हमलावरों से मुकाबला भी सादे निहत्थे हाथों से श्रीनगर और काश्मीर के लोगों ने किया, इसलिए कि वह इस बात का तसव्वर भी नहीं कर सकते हिंदुस्तान में अलैहदगी का, उनके दिमाग में कोई तसव्वर भी नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है और इसलिए उस इत्तिहाद को, बंधन को हम और मजबूत बनाते चले जाएं ।

आपने जो जज्बात का इजहार किया है, मैं उससे पूरी हमदर्दी रखता हूं और मैं

[श्री आरिफ मोहम्मद खान]

आपकी बात को मुतालिबात महकमों तक जरूर पहुंचाऊंगा ।

शाल साहब बहुत ज्यादा नाराज थे और कह रहे थे... (व्यवधान) नहीं, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि शाल साहब मेरे साथ बहुत नाराज थे, कह रहे थे कि हमारे साथ—बहुत मौजूदा सरकार के लिए जो कुछ उन्होंने कहा, कहा । एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कश्मीर में कोई वहां इलाकाई जमात है, उस जमात में इत्तिहाद बनी रहे, एकता बनी रहे, यह मरकजी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती । यह जिम्मेदारी तो उसी पार्टी के अपने ऊपर आती थी ।

अब उन्होंने कहा कि वहां के लोग कहते हैं गुलशाही कर्फ्यू । असल में कश्मीर के लोग बड़े पुर-मजाक हैं और वह बड़े अच्छे जुमले कहते हैं । चन्द दिनों पहले एक लफ्ज वहां बहुत रायज था—वह भी आपको याद होगा—बहुत दिनों की बात नहीं है और मैं किसी के ऊपर इलजाम नहीं लगा रहा हूं, मैं तारीफ कर रहा हूं कि कश्मीर के लोग बहुत पुर-मजाक हैं और बहुत अच्छी बात कहते हैं और मैं समझता हूं कि जिस शख्स के अंदर यह सलाहियत हो कि वह अपने ऊपर हंस सके, वह यकीनन तौर पर आदमी होता है और बुरा आदमी नहीं होता है ।

तो वहां के लोगों में यह सलाहियत है और मेरा ताल्लुक सिर्फ यही नहीं कि मैं बहुत ज्यादा आता-जाता हूं, मेरे साथ युनिवर्सिटी में बहुत पढ़े हुए मेरे बहुत से दोस्त हैं वहां बहुत जगहों पर—पर शाल साहब शिकायत कर रहे थे कि बड़ी ज्यादतियां हैं वहां.... बड़ी ज्यादतियां हैं कर्फ्यू के बारे में बात करते हुए हमारे लोगों को जेल में भेजा जाता है, वहां ज्यादतियां होती हैं । मुझे आज भी वह रात याद है, शाल साहब ने तो जेल की ही बात की है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है अभी दो-ढाई साल पहले की बात है । जाड़े के दिन, दिल्ली में तो जाड़े की रात में उतनी ठंड होती होगी जितनी उस दिन वहां पर दिन को ठंड थी और सुबह दस बजे हमने चलना शुरू किया, अपने जम्हूरी हकूक का मुतालबा करने वालों को सिर्फ जेल नहीं भेजा गया बल्कि डंडे मार-मार कर उनकी जान भी ले ली गई । यह पुरानी बात नहीं है । चाहे आनन्द नाग का शौकत हो, चाहे बारामुला का खिजर मोहम्मद हो, वह कोई मामूली आदमी नहीं था, बहुत बड़ा किसान था । हर डंडे के साथ उससे कहा गया कि फिर कहो, आजाद हिन्दुस्तान जिंदाबाद । वह हर डंडे के साथ आजाद हिन्दुस्तान, जिंदाबाद, कहता रहा और डंडे खाता रहा और आखिर में उसने अपनी जान दे दी । यह बहुत पुरानी बात नहीं है । सारे अखबारात में छपा है और तफसीलात में छपा है । मुझे भी इसलिए वह रात याद है कि उस रात इतना जाड़ा था कि मुझे कार में अंगीठी लेकर बैठना पड़ता था । मैं रात को 12 बजे खिजर मोहम्मद के घर पहुंचा । इसलिए मैं उस रात को भूल नहीं पाऊंगा । इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि अगर कहीं यह चीज है और अगर आपके लोगों के साथ भी ज्यादतियां हो रही हैं, मुझे आपके साथ हमदर्दी है और मैं यह समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल : मैं इतना अर्ज करूं जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है हमें तो इतना देखना है कि अगर माजी में कहीं कोई गलती होती है आपने उसके बारे में व्हाइट पेपर भी शाया किया है, गवर्नमेंट आफ् जम्मू-काश्मीर लेकिन फारूक या उसके किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, because all the charges were baseless.

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैंने किसी का नाम नहीं लिया था । मैंने सिर्फ यह कहा है कि हमारी सियासी तहजीब का यह बात हिस्सा नहीं बनना चाहती है, अगर हमारे किसी से सियासी इख्तलाफात हैं तो हम उसको गैर सियासी तरीकों से परेशान करने लगें । इसीलिए

मैंने कहा आज आपकी हकूमत वहां नहीं है और आप इसकी शिकायत कर रहे हैं । लेकिन अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हमदर्दी का इजहार कर रहा हूं मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि मेरी हमदर्दी सिर्फ इंडिविजुअल मामले में नहीं है, मेरी हमदर्दी बुनियादी तौर पर इस बात के लिए है कि किसी भी शख्स के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए और किसी के हाथ से भी नहीं होनी चाहिए । अगर आज हो रही है तो वह भी गलत है । दो साल पहले होती थी तो वह भी गलत है । आईंदा के लिए हमें तय करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए । जैसा मैंने पहले कहा इसलिए भी कहा कि इस बिल का मकसद बहुत महदूद है, सीमित है वह है कि जिस प्रकार पालियामेंट पहले ही अपनी राय का इजहार कर चुकी है, उसका दायरा काश्मीर तक ले जाएं । माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं और मैंने नोट भी की हैं और मैं फिर भी यह बताना चाहूंगा, शायद मालवीय जी ने पूछा था कि इस बिल के बनने के बाद से कितने राज्यों में कोर्टस बने हैं और कितने केसिज का ट्रायल हुआ है । हरियाणा में 4 बने हैं, पंजाब में 4 बने हैं, उत्तर प्रदेश में तीन बने हैं, हिमाचल प्रदेश में दो बने हैं, सिक्किम में एक, चण्डीगढ में एक, दिल्ली में तीन और राजस्थान में भी हैं, इसमें नहीं दिया हुआ है । कुल मिलाकर 40 केसेज हैं । जाहिर है कि इतनी जल्दी अभी यह उम्मीद करना कि उनमें कोई निर्णय हो गया तो अभी ऐसा नहीं हुआ है । मैं समझता हूं कि उसमें कुछ वक्त लगेगा मुकदमों को चलाने में और उनका फैसला करने में । आपके माध्यम से मैं एक बार फिर यकीन दिलाना चाहूंगा कि जब शुरू में यह बिल आया था तो उस समय भी यह शंका व्यक्त की गई थी कि इसका नाजायज इस्तेमाल तो नहीं होगा, इसका राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं होगा ? लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और न ऐसा होगा । यह बिल 4 P.M. सिर्फ उन लोगों का सामना करने के लिए है.....बीबीबी पर जारी यह बिल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का सामना करने के लिए है, जो आतंकवाद या हिंसा का सहारा लेकर चीजों को प्रभावी करना चाहते हैं । हमारे हाथ उनसे दोस्ती करने के लिए बढे हुए हैं जो देश की एकता और अखंडता, देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण, अच्छा माहौल बनाने का काम करने के लिए तैयार हैं, उनसे बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, उनसे हाथ मिलाने के लिए हम तैयार हैं । लेकिन अपने हाथ में ताकत भी रखना चाहते हैं ताकि उन अनसिर का, उन तत्वों का भी मुकाबला किया जा सके, जो आतंकवाद या हिंसा का सहारा लेकर इस देश की एकता या अखण्डता को कमजोर करने की कोशिश करें, हमारे देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश करें । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस पर अपना पूरा समर्थन देंगे ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That this House disapproves of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Amendment Ordinance,.. .1985 No. 4 of 198>5) promulgated by the President on the 5th June, 1985."

The motion wa$_s$ negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion moved ^{bv} Shri Arif Mohd. Khan t_0 vote. The question is:

"That the Bill to amend the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now. we shall take up clause-by-olause consideration of the Bill. Clauses 2 and 3 *were added* to *the Bill. Clause* 1, *the Enacting Formula and the Title wdre added to the BUI.*

SHRI ARIF MOHD. KHAN: I move:

"That the Bill be passed."

The *question was put and the motion was adopted.*

THE AUROVILLE (EMERGENCY PROVISIONS) AMENDMENT BILL, 1985

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Auroville (Emergency Provisions) Amendment Bill, 1985. Shri K. C. Pant.

THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI K. C. PANT): Madam, I rise to move that the Bill to amend the Auroville (Emergency Provisions) Act, 1980, be taken into consideration.

Madam, before the House begins a discussion on the Bill, I think it would be useful if the background of this proposal is briefly placed before the hon. Members. The International cultural township known as 'Auroville' was set up in 1968 where people of different countries could live together in harmony and in one community, who were expected to engage in cultural, educational and scientific and other pursuits. At the initiative of the Government of India, UNESCO passed resolutions in 1966, 1968 and 1970 commending, Auroville to those interested in UNESCO's ideals and inviting its Member-States and international governmental and non-governmental organisations to participate in the development of Auroville as an inernational cultural township to bring together the values of different cultures and civilisations in a harmonious environment with a decency for living which correspond to man's physical and spiritual needs. Funds for the development of Auroville were provided by different organisations in and outside India. Substantial grants were also made for the purpose by our Cfentral and State Governments. Sri Aurobindo Society, a non-governmental organisation, was a major channel for these funds. The society is quite distinct from Sri Aurobindo Ashram and Auroville.

Serious problems arose after, the Mother left her body in 1973. The complaints were subsequently received with regard to misuse of funds by Sri Aurobindo Society and a Committee was set up in 1976 under the Chai[rmansn]ip of Lt. Governor of Pondicherry to enquire into the same. After a detailed scrutiny of the amounts of Sri Aurobindo Society as also a report of the Audit team, the Committee found instances of serious irregularities in the management of the said society, mis-utilisation of its funds and their diversion to othe[r] purposes.

Since the Government of India was interested in the orderly and systematic development of Auroville, it made several attempts to bring about an amicable solution to various problems and disputes. However, as se'rious difficulties had arisen with regard to the management of Auro ville, the President of India, pro mulgated an Ordinance on the 10tb of November, 1980 to provide for taking over, in the public interest, of the management of Auroville for a limited period. The Auroville Ordidance was subsequently replaced by the Auroville (Emergency Pro visions) Act, on the 17th December, 1980. The Auroville Act vested the powers of management of the pro perty relatable to Auroville in the Central Government for a maximum period of f e years. Initially, the take over of the management was for a period of two years from the 10th of November, 1980 but it has been extended on year to year basis upto November, 1985. Under the provisions of the Act, however, Shri Aurobindo Society challenged the take over cf the management by the Government of India in the High Court of Calcutta and later, in the Supreme Court, Because of the interim directions given by the Supreme Court, the Act could not come into full operation until November, 1982 when the Supreme Court upheld the validity of the Act. Thus, a period